

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 37/2023-24 तारीख दायर :-18.12.2023 दिनांक निर्णय :-11.01.2024

पटवारी हल्का नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

गंगाराम पुत्र छाजू राम जाति सैनी निवासी ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान

भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाथलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम जोनेटा के आराजी खसरा नम्बर 223 रकबा 3.41 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.25 हैक्ट0 पर मेड़ बनाकर अतिक्रमण करने पर गंगाराम पुत्र छाजू राम जाति सैनी निवासी ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को गैरसायल/अप्राथी उपस्थित रहा। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जवाब में अप्रार्थी द्वारा बरसाती पानी को रोकने के लिए मेड़ बनाकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है जिसे हटा लिये जाने उल्लेख किया है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का नाथलवाड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा राजकीय चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी गंगाराम पुत्र छाजू राम जाति सैनी निवासी ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम जोनेटा के आराजी खसरा नम्बर 223 रकबा 3.41 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.25 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 2.50 की 50 गुणा में मु0 125.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एवं पटवारी हल्का नाथलवाड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 11.01.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2. 02. 3. 2. 4
के पृष्ठ संख्या... 4. 8. पृष्ठ... 125/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

राजगढ़ तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
नाथलवाड़ा तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)